

उत्तर प्रदेश विद्युत लोकपाल (सेवा के निबन्धन और शर्तों) विनियमावली, 2004

अधिसूचना संख्या:3323/उ0प्र0विनि0आ0/विनियमावली/04 लखनऊ: दिनांक: 2 अप्रैल 2004

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या: 36, सन् 2003) की धारा-42 की उपधारा-(5),(6) और (7) के साथ पठित धारा- 181 द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात :-

भाग-1 सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(क) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत लोकपाल (सेवा के निबन्धन और शर्तों) विनियमावली, 2003 कही जायेगी ।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ।

(ग) यह उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषायें:

2.1 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है ।

2.2 'अध्यक्ष' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से है ।

2.3 'लोकपाल' का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(6) तथा इस विनियमावली के अधीन नियुक्त या पदनामित किया जायेगा ।

2.4 'उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम' का तात्पर्य ऐसे फोरम से है जिसका गठन प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली-2003 के अनुसरण में किया जायेगा ।

2.5 'लाइसेंसधारी' का तात्पर्य ऐसे लाइसेंसधारी से है जो आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करने के लिये वितरण प्रणाली के परिचालन और अनुरक्षण करने हेतु प्राधिकृत हो ।

2.6 'विद्युत वितरण संहिता' का तात्पर्य उस विद्युत वितरण संहिता से है जिसे आयोग समय समय पर अनुमोदित या विनिर्दिष्ट करे ।

नियुक्ति और पदावधि

- (3.1) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विद्युत लोकपाल के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को पदाभिहित/नियुक्त करेगा, जो इस विनियमावली द्वारा उसे सौंपे गये कृत्यों का अनुपालन करेंगे ।
- (3.2) लोकपाल की नियुक्ति खुले विज्ञापन के माध्यम से चयन द्वारा की जाएगी । चयन समिति में अध्यक्ष, आयोग के सदस्य और पावर सेक्टर से एक विशेषज्ञ समाविष्ट होंगे । आयोग का अध्यक्ष चयन समिति का अध्यक्ष होगा । परन्तु यह खण्ड उस समय लागू नहीं होगा, जब आयोग लोकपाल को पदाभिहित करेगा ।
- (3.3) इस खण्ड के अधीन विद्युत लोकपाल की नियुक्ति 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी, परन्तु किसी विद्युत लोकपाल की पदावधि का आयोग द्वारा अग्रेतर अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है, जो 60 वर्ष की आयु सीमा के अधीन 2 वर्ष से अनधिक नहीं होगा । परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात लोकपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
- (3.4) उपखण्ड 3.1 के अधीन नियुक्त विद्युत लोकपाल अपना पूर्ण समय अपने कार्यालय के क्रिया-कलापों में लगायेगा ।
- (3.5) विद्युत लोकपाल भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा -21 के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा ।
- (3.6) विद्युत लोकपाल तीन मास से अन्यून अवधि का नोटिस आयोग को लिखित में देने के पश्चात अपना पद त्याग सकता है । जहां आयोग का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में या विद्युत लोकपाल की अक्षमता के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो आयोग लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसे एक मास का नोटिस दे कर या नोटिस की अवधि के स्थान पर एक मास की समेकित परिलब्धियों का भुगतान करके विद्युत लोकपाल को उसके पद से हटा सकता है ।

4. क्षेत्रीय अधिकारिता

विद्युत लोकपाल की क्षेत्रीय सीमाएँ उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में विस्तृत होंगी, लेकिन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-184 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अपवाद है । यदि आयोग एक से अधिक लोकपाल की नियुक्ति करे जो आयोग, प्रत्येक की क्षेत्रीय सीमाएँ विनिर्दिष्ट करेगा ।

5. कार्यालय का स्थान और अस्थायी मुख्यालय

विद्युत लोकपाल / विद्युत लोकपालों का कार्यालय ऐसे स्थान/स्थानों पर होगा, जिन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में तीव्रता लाने के लिये विद्युत लोकपाल अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों पर बैठकें कर सकता है, जिन्हें उसे समक्ष यथास्थिति, शिकायत या सन्दर्भ के सम्बन्ध में उसके द्वारा आवश्यक और समुचित समझा जाय।

6. अर्हता

विद्युत लोकपाल इंजीनियरिंग स्नातक, अधिमानतः विधि वेत्ता हो। सार्वजनिक / निजी विद्युत सेवा प्रदाय में 20 वर्ष के न्यूनतम अनुभव वाले व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी, जिसमें से 10 वर्ष का अनुभव विद्युत वितरण में होना चाहिये। नियामक क्रिया- कार्यकलापों के अनुभव को अधिमानता दी जाएगी। अपवादिक परिस्थितियों में आयोग/चयन समिति का यह अधिकार होगा कि वह अनुभव के मानदण्ड में छूट दे सके।

7. परिलब्धियां

विद्युत लोकपाल को रु0 18400-500-22400 का वेतनमान दिया जाएगा, वह आयोग के निदेशक को अनुमन्य अन्य प्रसुविधाओं को प्राप्त करने का भी हकदार होगा। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले लोकपाल का यह विकल्प होगा कि वह या तो अपने पैतृक विभाग के विद्यमान वेतनमान का विकल्प दे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विहित प्रतिनियुक्ति भत्ता सम्मिलित है या ऊपर उल्लिखित वेतनमान का विकल्प दे। उसके वेतन और अन्य अनुमन्य प्रसुविधाओं का व्यय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 के अन्तर्गत गठित 'फण्ड' से वहन किया जायेगा बशर्ते जब तक उक्त फण्ड का गठन होता है लोकपाल के वेतन तथा अन्य प्रसुविधाओं के व्यय का वहन आयोग द्वारा किया जायेगा और उसे आयोग के बजट में सम्मिलित किया जाएगा।

8. सचिवालय

विद्युत लोकपाल का एक सचिवालय होगा जिसमें तालिका-1 में उल्लिखित 5 कार्मिक होंगे जिन्हें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार /सरकारी उपक्रम या पब्लिक यूटीलिटी से प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा। उन पर होने वाला व्यय आयोग के बजट में सम्मिलित होगा। सचिवालय की स्थापना राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन होगी जिसमें लम्बित रहते हुए अधिकारी/स्टाफ लाइसेन्सीज के वर्तमान स्टाफ से लेकर लोकपाल के कार्यालय में कार्य पर लगाये जायेगे और इन कर्मियों के वेतन का वहन लाइसेन्सीज द्वारा ही किया जायेगा। आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश इस बिन्दु पर जारी किया जायेगा।

9. विद्युत लोकपाल की शक्तियां और कर्तव्य

विद्युत लोकपाल की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :-

- (क) उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील याचिकाओं को प्राप्त करने और ऐसी शिकायतों पर विचार करने और लाइसेन्सधारी और व्यथित पक्षकारों के बीच सुलह और मध्यस्थता द्वारा, करार द्वारा उनकी संतुष्टि या निपटारा करना या विद्युत अधिनियम, 2003 उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के उपबन्धों, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रतिकूल न हों और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अनुसार विशेष रूप से (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2003 और विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार अधिनिर्णय देना ।
- (ख) विद्युत लोकपाल अपने कार्यालय और उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम के कार्यालय पर (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल विनियमावली, 2003 के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा गठित) अधीक्षण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और उनमें कार्य के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (ग) विद्युत लोकपाल नोटिस को जारी करने, उपस्थिति के सम्बन्ध में पुकार लगवाने, शपथ पूर्वक परीक्षण करने, साक्ष्यों की प्राप्ति करने और अभिलेखों की अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा ।
- (घ) विद्युत लोकपाल, प्रारूप और वह रीति विनिर्दिष्ट करेगा, जिसमें कोई प्रत्यावेदन उसके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
- (ङ) विद्युत लोकपाल कार्यालय के निमित्त व्यय को उपगत करने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगा। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में विद्युत लोकपाल आयोग के परामर्श से अपने कार्यालय का वार्षिक बजट बनाएगा और अनुमोदित बजट के भीतर व्यय करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा। लोकपाल के कार्यालय के वार्षिक लेखे का अनुरक्षण ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूपों में किया जाएगा, जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ।
- (च) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

10. सूचना मंगवाने की शक्ति

- (10.1) विद्युत लोकपाल की यह शक्ति होगी कि वह किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बुला सके या उसे उपस्थित होने के लिए मजबूर कर सके, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित हों, जो लोकपाल के समक्ष शिकायत का विषय वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो ।

- (10.2) अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, विद्युत लोकपाल शिकायत में नामित लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह शिकायत की विषय-वस्तु से सम्बन्धित किसी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतियाँ 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करे, जो उसके कब्ज़े में हों या उसके कब्ज़े में बतायी जाएं। परन्तु पर्याप्त कारण के अभाव में अध्यक्षपेक्षा का अनुपालन करने में लाइसेंसधारी द्वारा विफल होने की स्थिति में विद्युत लोकपाल यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि यदि वह उचित समझे कि सूचना, जो दी गयी है, या प्रतियाँ जो प्रस्तुत की गयी हैं, लाइसेंसधारी के लिए अहितकर होंगी, तो उस आधार पर वाद का निस्तारण करने की कार्यवाही कर सकता है।
- (10.3) विद्युत लोकपाल किसी सूचना या उसके संज्ञान, या कब्जे में आने वाले दस्तावेज़ के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान गोपनीयता बनाये रखेगा और ऐसी सूचना या दस्तावेज़ देने वाले व्यक्ति की सहमति के सिवाय ऐसी सूचना या दस्तावेज़ किसी व्यक्ति को नहीं दिखाएगा। परन्तु यह कि इस खण्ड की कोई बात किसी शिकायत में किसी पक्षकार द्वारा दी गयी सूचना या दस्तावेज़ को अन्य पक्ष या पक्षकारों को दिखाने के लिए विद्युत लोकपाल को उस सीमा तक नहीं रोकेगा जहाँ तक वह तर्कसंगत रूप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए और कार्यवाही में पारदर्शिता के लिए आवश्यक समझे।

11. अपवाद

इस विनियमावली में निहित कोई वाद तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपभोक्ता के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) है।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इस विनियमावली के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लाइसेंसधारी को निदेश दे सकता है कि वह समुचित कार्यवाही करे, जो विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रतिकूल न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

13. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी समय विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस विनियमावली के किसी उपबन्ध में परिवर्धन, उपान्तरण, लोप या संशोधन कर सकता है।

तालिका-1: लोकपाल के कार्यालय का कर्मचारी वर्ग

<u>पद का नाम</u>	<u>संख्या</u>	<u>वेतनमान</u>
सहायक निदेशक (तकनीकी)	1	8000-13500
सहायक निदेशक (विधि)	1	8000-13500
निजी सचिव (श्रेणी-2)	1	5500-9000
लिपिक एवं कम्प्यूटर चालक	1	4500-7000
अनुसेवक/संदेश वाहक	1	2550-3200

आयोग के आदेश से,
संगीता वर्मा
सचिव
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
लखनऊ, (उ0प्र0)